प्रपत्र ए
सार्वजनिक उद्घोषणा

[भारत दिवाला तथा दिवालिया मंडल (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के विनियमन 6 के अंतर्गत]

पीयूष कॉलोनाइजर्स लिमिटेड के क्रेडीटरों के ध्यानार्थ

संबंधित विवरण

1.	कॉर्पोरेट ऋणधारक का नाम	पीयूष कॉलोनाइजर्स लिमिटेड
2.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के निगमन की तिथि	14.7.2004
3.	वह प्राधिकरण जिसके अंतर्गत कॉर्पोरेट ऋणधारक निगमित/ पंजीकृत है	कम्पनी रजिस्ट्रार, दिल्ली
4.	कॉर्पोरेट पहचान संख्या/ कॉर्पोरेट ऋणधारक का लिमिटेड लाएबिलिटी पहचान संख्या	U40105DL2004PLC127584
5.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) का पता	पंजीकृत पताः ए 16/बी 1, मोहन को-ऑपरेटिव इंडस्ट्रियल इस्टेट, मैन मथुरा रोड, नई दिल्ली-110044 अन्य पताः "पीयूष गोयल-1", 1ला तल, प्लॉट नं.-5, वाईएमसीए चौक, एनएच-2, मैन मथुरा रोड, फरीदाबाद-121005, हरि.
6.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के संदर्भ में दिवाला आरंभ होने की तिथि	30.9.2019
7.	दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया के समापन की अनुमानित तिथि	28.3.2020
8.	अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेशनल का नाम, पंजीकरण संख्या, जो अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेशनल के रूप में कार्यरत है	उमेश गर्ग, पंजी. सं.: IBBI/IPA-001/IP-P00135/2017-2018/10277
9.	बोर्ड में यथा पंजीकृत अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेशनल का पता एवं ईमेलः	पताः 2रा तल, 3-सिंधिया हाउस, जनपथ, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001 ई-मेलः umeshg60@gmail.com
10.	अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेशनल के साथ पत्राचार के लिये प्रयुक्त होने वाला पता तथा ईमेल	उमेश गर्ग, एलमॉड्ज इन्सॉल्वेन्सी रिजॉल्यूशन्स सर्विसेस प्रा.लि., एफ-33/3, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-II, नई दिल्ली-110020 ई-मेलः cirppiyush@gmail.com
11.	दावे जमा करने की अंतिम तिथि	14.10.2019
12.	क्रेडीटर का वर्ग यदि कोई हो, धारा 21 की उप धारा (6ए) के उपबंध (बी) के अंतर्गत, अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेशनल द्वारा सुनिश्चित किया गया	वर्ग (गों) का नाम होम बायर्स
13.	किसी वर्ग में क्रेडीटर्स के प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिये पहचान किये गये इन्सॉल्वेन्सी प्रॉफेशनल का नाम (प्रत्येक वर्ग से तीन नाम)	1. संदीप खन्ना 2. श्री श्याम अरोड़ा 3. श्री विरेन्द्र जीत सिंह
14.	क) संबंधित प्रपत्र तथा (ख) प्राधिकृत प्रतिनिधियों का विवरण उपलब्ध है	क) वेबलिंकः https://www.ibbi.gov.in/ ख) भौतिक पताः एफ-33/3, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-II, नई दिल्ली-110020

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण, ने 30.9.2019 को पीयूष कॉलोनाइजर्स लिमिटेड के संदर्भ में कॉर्पोरेट इन्सॉल्वेन्सी प्रस्ताव प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है। एतद्द्वारा पीयूष कॉलोनाइजर्स लिमिटेड के क्रेडीटरों को निर्देश दिया जाता है कि प्रविष्टि सं. 10 में वर्णित पते पर अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेशनल के पास 14.10.2019 को या उससे पूर्व प्रमाणों के साथ अपने दावे जमा करें।

फाइनांसियल क्रेडीटर्स केवल इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से ही प्रमाणों के साथ अपने दावे जमा कर सकते हैं। अन्य सभी क्रेडीटर्स व्यक्तिगत, डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से प्रमाणों के साथ अपने दावे जमा कर सकते हैं।

प्रविष्टि सं. 12 के समक्ष यथा सूचीबद्ध किसी वर्ग से संबंधित वित्तीय क्रेडीटर प्रपत्र सीए में होम बायर्स के वर्ग के प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिये प्रविष्टि सं. 13 के समक्ष सूचीबद्ध तीन इन्सॉल्वेन्सी प्रॉफेशनलों में से प्राधिकृत प्रतिनिधि की अपनी पसंद को दर्शाएं- लागू नहीं

दावे का गलत अथवा भ्रामक प्रमाणों को जमा करने पर दंडित किया जा सकता है।

तिथिः 3.10.2019 **उमेश गर्ग**
स्थानः नई दिल्ली **अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेशनल**

The Indian EXPRESS Classifieds
FROM ANYTHING TO EVERYTHING.

CLASSIFIED AD DEPOT (CAD)

Book classified ads at your nearest Express Group's authorised Classified Ad Depots

EAST

PATPARGANJ : CHAVI ADVERTISERS, Ph.: 9899701024, 22090987, 22235837, **PREET VIHAR :** AD BRIDGE COMMUNICATION, Ph.: 9810029747, 42421234, 22017210, **SHAKARPUR :** PARICHAY ADVERTISING & MARKETING, Ph.: 9350309890, 22519890, 22549890

WEST

JANAKPURI : TRIMURTI ADVERTISERS, Ph.: 9810234206, 25530307, **KAROL BAGH (REGHARPURA) :** K R ADVERTISERS, Ph.: 9810316618, 9310316618, 41547697, **KARAMPURA :** GMJ ADVERTISING & MARKETING PVT. LTD., Ph.: 9310333777, 9211333777, 9810883377, **NEW MOTI NAGAR :** MITTAL ADVERTISING, Ph.: 25178183, 9810538183, 9555945923, **MOTI NAGAR :** UMA ADVERTISERS, Ph.: 9312272149, 8800276797, **RAMESH NAGAR :** POSITIVE ADS, Ph.: 9891195327, 9310006777, 65418908, **TILAK NAGAR :** SHIVA ADVERTISERS, Ph.: 9891461543, 25980670, 20518836, **VIKAS PURI :** AAKAR ADVT. MEDIA Ph.: 9810401352, 9015907873, 9268796133

CENTRAL

CHANDNI CHOWK : RAMNIWAS ADVERTISING & MARKETING, Ph.: 9810145272, 23912577, 23928577, **CONNAUGHT PLACE :** HARI OM ADVERTISING COMPANY Ph.: 9811555181, 43751196

NORTH

TIS HAZARI COURT : SAI ADVERTISING, Ph.: 9811117748 **KINGWAY CAMP :** SHAGUN ADVERTISING, Ph.: 9818505505, 27458589, **PATEL CHEST (OPP. MORRIS NAGAR POLICE STATION) :** MAHAN ADVERTISING & MARKETING, Ph.: 9350304609, 7042590693, **PITAMPURA (PRASHANT VIHAR) :** PAAVAN ADVERTISER Ph.: 9311564460, 9311288839, 47057929

SOUTH

CHATTARPUR : A & M MEDIA ADVERTISING, Ph.: 9811602901, 65181100, 26301008, **KALKAJI :** ADWIN ADVERTISING, Ph.: 9811111825, 41605556, 26462690, **MALVIYA NAGAR :** POOJA ADVERTISING & MARKETING SERVICE, Ph.: 9891081700, 24331091, 46568866, **YUSUF SARAI :** TANEJA ADVERTISEMENT & MARKETING Ph.: 9810843218, 26561814, 26510090

NCR

FARIDABAD (NEELAM FLYOVER) : AID TIME (INDIA) ADVERTISING, Ph.: 9811195834, 0129-2412798, 2434654, **FARIDABAD (NIT, KALYAN SINGH CHOWK) :** PULSE ADVERTISING, Ph.: 9818078183, 9811502088, 0129-4166498, **FARIDABAD :** SURAJ ADVERTISING & MARKETING, Ph.: 9810680954, 9953526681, **GURGAON :** SAMBODHI MEDIA PVT. LTD., Ph.: 0124-4065447, 9711277174, 9910633399, **GURGAON :** AD MEDIA ADVERTISING & PR, Ph.: 9873804580, **NOIDA (SEC. 29) :** RDX ADVERTISING, Ph.: 9899268321, 0120-4315917, **NOIDA (SEC. 65) :** SRI SAI MEDIA, Ph.: 0120-4216117, **NOIDA (SEC. 58) :** JAI LAKSHMI ADVERTISERS, Ph.: 9873807457, 9911911719 **GHAZIABAD (HAPUR ROAD TIRAHA, NR GURUDWARA) :** TIRUPATI BALAJI ADVERTISING & MARKETING, Ph.: 9818373200, 8130640000, 0120-4561000

EDUCATION (IAS & PMT ACADEMIES)

FRIENDS PUBLICITY SERVICE 23287653, 23276901, 9212008155

For CAD enquiries please contact :
ROHIT JOSHI 9818505947, **ABHINAV GUPTA** 9910035901
For booking classified ads, please contact 011-23702148, 0120-6651215, E-mail : delhi.classifieds@expressindia.com

बर्खास्त एमडी ने गड़बड़ी के लिए 'सतही ऑडिट' को ठहराया जिम्मेदार

मुंबई, 23अक्तूबर (भाषा)।

पंजाब एंड महाराष्ट्र को - ऑपरेटिव (पीएमसी) बैंक के बर्खास्त प्रबंध निदेशक (एमडी) जॉय थॉमस ने बैंक में गड़बड़ी के लिए ऑडिटरों को दोषी ठहराते हुए आरोप लगाया है कि समय की कमी से उन्होंने बैंक के बही खातों का 'सतही ऑडिट' किया।

भारतीय रिजर्व बैंक को 21 सितंबर को लिखे पांच पन्ने के पत्र में थॉमस ने बैंक के वास्तविक एनपीए और एचडीआईएल के कर्ज के बारे में वास्तविक जानकारी छिपाने में शीर्ष प्रबंधन समेत निदेशक मंडल के कुछ सदस्यों की भूमिका को कबूल किया है। हालांकि, थॉमस ने आरबीआई को भेजे पत्र में किसी ऑडिटर के नाम का जिक्र नहीं किया है। बैंक की 2018-19 ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक , 2010-11 से बैंक के तीन ऑडिटर - लकड़वाल एंड कंपनी , अशोक जयेश एंड एसोसिएट्स और डीबी केतकर एंड कंपनी - थे।

इन ऑडिटरों की ओर से भेजे गए ई - मेल का 24 घंटे बाद भी जवाब नहीं दिया है। थॉमस ने पत्र में दावा किया है कि वैधानिक ऑडिटरों ने पीएमसी बैंक के बही खातों का सतही तौर पर ऑडिट किया गया था क्योंकि बैंक बढ़ रहा था। थॉमस ने दावा किया- चूंकि बैंक के व्यवसाय में वृद्धि हो रही थी, ऑडिटरों ने समय के कमी के कारण सभी खातों के पूरे परिचालन की जांच - पड़ताल के बजाए सिर्फ बढ़े हुए कर्ज और उधार की जांच - पड़ताल की। इस बैंक ने अपने कुल कर्ज का का बहुत बड़ा हिस्सा केवल एक कंपनी समूह एचडीआईएल को दे रखा है। इस साल सितंबर के अंत में इस समूह पर कारीब 6500 करोड़ रुपए का बकाया था।

थामस ने कहा है कि प्रतिष्ठा गिरने के डर से बैंक ने अपने बड़े खातों के बारे में रिजर्व बैंक को 2008 से कोई जानकारी नहीं दी थी। उन्होंने लिखा है- संचालक मंउल, आडिटरों और विनियामकों को बड़े खातों की जानकारी इस नहीं दी गई क्योंकि इससे प्रतिष्ठा गिरने का डर था। 2015 से पहले कुछ बड़े कर्जदारों की ज्यादातर सूचना शाखा स्तर पर ही रखी जाती थीं और उनके खातों का ब्योरा सामने नहीं आता था। स्थिति तब बदली जब रिजर्व बैंक ने 2017 में बैंक द्वारा दिए जाने वाली उधार/कर्ज की राशियों का ब्योरा मांगना शुरू किया।

यूको बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) **UCO BANK** (A Govt. of India Undertaking)

शाखा कार्यालयः रोड नं.7, ईस्ट पंजाबी बाग, नई दिल्ली

कब्जा सूचना (प्रतिभूति हित (प्रवर्तन), अधिनियम 2002 के नियम 8(1) के तहत

जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 (2002 के एक्ट नं. 54) के अंतर्गत यूको बैंक, रोड नं. 7, ईस्ट पंजाबी बाग, नई दिल्ली शाखा के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 20.6.2019 जारी कर ऋणधारकः 1) निशि ट्रेडेक्स प्रा.लि., जिसका पंजीकृत कार्यालय एस-24, राजेन्द्र भवन, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली में है तथा फैक्ट्री प्लॉट नं. 307, फेज-6, सेक्टर-37, गुड़गाँव में स्थित है, 2) ध्रुवज्योति हजारिका (निदेशक एवं गारन्टर), निवासी एच. 77, 2रा तल, रेजीडेन्सी ग्रीन, ग्रीनवुड सिटी, झसरा, गुड़गाँव तथा साथ हीः 35-बी, भूतल, भवानी कुंज, नई दिल्ली, 3) आशुतोष कुमार श्रीवास्तव (निदेशक एवं गारन्टर) मकान सं. 502, सद्भावना अपार्टमेन्ट, सेक्टर-22, द्वारका, नई दिल्ली, साथ हीः चोमू, हरहुवा, वाराणसी, 4) पंकज तिवारी (निदेशक) निवासीः 466/11, गेट नं. 4, रत्तन गार्डन गुड़गाँव, 5) नीरज तिवारी (गारन्टर), निवासीः 1384, सेक्टर-10ए, गुड़गाँव तथा साथ हीः 139, छोटा अखाड़ा, ब्रह्मपुरी, जयपुर, 6) विन्ध्य बिल्डकॉन प्रा.लि. (गारन्टर) पंजी. कार्यालयः 282, सत्य निकेतन, नई दिल्ली 7) नितिन ओबराय (गारन्टर कम्पनी के निदेशक) निवासीः एफ-162, सेक्टर-56, सुशांत लोक-3, गुड़गाँव एवं 8) अमित कुमार (गारन्टर कम्पनी के निदेशक) निवासीः श्याम प्लाजा, शॉप नं. 20, सिविल हॉस्पीटल के निकट, सिविल लाइन्स, गुड़गाँव को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि रु. 2,91,54,615.45 (रुपये दो करोड़ इक्यानवे लाख चौवन हजार छः सौ पन्द्रह एवं पैंतालिस मात्र) 31.05.2019 तक ब्याज सहित तथा 1.6.2019 से उस पर आगे का ब्याज तथा अन्य अनुषांगिक चार्जेज वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक, इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक/गारन्टर तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज, 26 सितम्बर, 2019 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन नियमावली 2002 के नियम 9 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय रु. 2,91,54,615.45 (रुपये दो करोड़ इक्यानवे लाख चौवन हजार छः सौ पन्द्रह एवं पैंतालिस मात्र) 31.05.2019 तक ब्याज सहित तथा 1.6.2019 से उस पर आगे का ब्याज तथा अन्य अनुषांगिक चार्जेज, वसूली यदि कोई हो, को घटाकर, यूको बैंक, रोड नं. 7, ईस्ट पंजाबी बाग, नई दिल्ली शाखा के चार्ज के अधीन होगा।

ऋणधारक/गारन्टर का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

अचल सम्पत्तियों का विवरण

सम्पत्ति सं.: बुक नं. 1, वॉल्यूम नं. 1, पेज नं. 9 तथा जिसकी एक प्रति अतिरिक्त बुक नं. 1, वॉल्यूम 37, पेज नं. 16 से 18 में सब रजिस्ट्रार, फरीदाबाद के पास पंजीकृत टाइटल डीड नं. 15938 तिथि 17.2.2014 के माध्यम से विन्ध्य बिल्डकॉन प्रा. लि. के स्वामित्व में शाप नं. एसएफ-03, 2रा तल, क्राउन इन्टेरियर्ज, ग्राम सराय ख्वाजा, फरीदाबाद में शॉप माप 2835 वर्ग फीट। चौहद्दी इस प्रकार हैः पूर्वः यूनिट नं. 2, उत्तरः पैसेज, पश्चिमः यूनिट नं. 4, दक्षिणः प्रवेश सम्पत्ति सं. 2ः सब रजिस्ट्रार, गुड़गाँव के पास बुक नं. 1, वॉल्यूम नं. 18, पेज नं. 148 तथा उसकी एक प्रति अतिरिक्त बुक नं. 1, वॉल्यूम नं. 287 पर पेज नं. 41 से 42 में चस्पा की गई है, में पंजीकृत टाइटल डीड नं. 14255 तिथि 14.2.2003 के माध्यम से ध्रुवज्योति हजारिका, पुत्र धरम कांता हजारिका के स्वामित्व में 77, ब्लॉक-एच, 2रा तल, रेजीडेन्सी ग्रीन, निकट ग्रीनवुड्स सिटी, झसरा, गुड़गाँव में स्थित आवासीय सम्पत्ति माप 1514 वर्ग फीट।

चौहद्दी इस प्रकार हैः उत्तर पूर्वः प्लॉट नं. एच 78, उत्तर पश्चिमः रोड, दक्षिण पूर्वः बाउण्ड्री, दक्षिण पश्चिमः प्लॉट नं. एच 76

तिथिः 26.09.2019 **प्राधिकृत अधिकारी**
स्थानः नई दिल्ली **यूको बैंक, ईस्ट पंजाबी बाग, नई दिल्ली**

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया Central Bank of India
1911 से आपके लिए "केन्द्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

प्रतिभूतिकरण अधिनियम, 2002 की मांग सूचना 13(2)

शाखा कार्यालयः भगीरथ पैलेस, दिल्ली-110006

यह मांग सूचना वित्तीय परिसम्पत्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 (2002 का 54) के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के अंतर्गत एतदद्वारा कर्जदारों/गारंटरों को उनकी गारंटी में दी गई ऋण सुविधा की बकाया राशि का भुगतान इस सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर करने के लिए जारी की गई है। यदि आप अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत इस सूचना के संदर्भ में नीचे वर्णित राशि और उस पर आगे ब्याज और प्रासंगिक व्यय, लागत आदि का भुगतान करने में असफल रहते हैं तो बैंक कथित अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) और अन्य लागू प्रावधान के अंतर्गत उसे प्राप्त सभी या किसी अधिकार का प्रयोग करेगा। आपको यह भी सूचना दी जाती है कि आप बिना बैंक की लिखित अनुमति लिये इस सूचना में नीचे वर्णित प्रतिभूत परिसम्पत्तियों की बिक्री, पट्टे पर देने या अन्य लेनदेन नही कर सकते है। **बकाया राशि के साथ खाता और प्रतिभूत परिसम्पत्तियों का विवरण नीचे दिया गया हैः**

अचल सम्पत्ति की अनुसूची एवं अन्य विवरण

कर्जदार/गारंटर का नाम	प्रतिभूत परिसम्पत्ति का विवरण	13(2) सूचना की तिथि एवं राशि
श्री नवीन गुप्ता (कर्जदार) एवं श्रीमती शालिनी गुप्ता (सह-कर्जदार) ई-216, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली-110065	**मालिकः श्रीमती शालिनी गुप्ता** तीसरा तल, भूखण्ड सं. ई-216, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली-110065 जो घिरा हैः **पूर्वः** 80 फीट चौड़ी रोड **पश्चिमः** 15 फीट चौड़ी सर्विस लेन **उत्तरः** प्लॉट नं.217 **दक्षिणः** प्लॉट नं.218	11.08.2019 को एनपीए रु.4,19,72,649/- (आगे ब्याज लागू) (जो 26.08.2019 को बकाया मूलधन प्लस ब्याज को दर्शाता है)

आपका ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम के अनुच्छेद (13) के उप-अनुच्छेद (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

स्थानः नई दिल्ली **प्राधिकृत अधिकारी,**
दिनांकः 26.08.2019 **सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, भगीरथ पैलेस, दिल्ली**

ललित मोदी और पत्नी के स्विस बैंक खातों का ब्योरा मांगा भारत ने

नई दिल्ली/बर्न, 2 अक्तूबर (भाषा)।

क्रिकेट टूर्नामेंट आइपीएल के पूर्व कमिश्नर ललिल मोदी और उनकी पत्नी के स्विस बैंक खातों की जानकारी के बारे में भारतीय अधिकारियों के अनुरोध पर स्विट्जरलैंड ने दोनों के नाम सार्वजनिक सूचना जारी की है। भारत ने विदेशों में जमा कालेधन के खिलाफ कार्रवाई तेज कर रखी है।

भारत ने कर संबंधी मामलों में सहयोग की द्विपक्षीय संधि के तहत ऐसे मामलों में स्विट्जरलैंड से सहयोग का अनुरोध किया है।

भारत ने कर संबंधी मामलों में सहयोग की द्विपक्षीय संधि के तहत ऐसे मामलों में स्विट्जरलैंड से सहयोग का अनुरोध किया है। स्विट्जरलैंड के संघीय कर विभाग ने ललित मोदी और उनकी पत्नी मिनाल मोदी (उर्फ मिनालिनी मोदी) के अलावा कुछ अन्य इकाइयों के बारे में मांगी गई जानकारी देने से पहले अपने देश के नियमों के तहत संघीय राजपत्र में उनके नाम के नोटिस जारी किए हैं। सूचना साझा करने से पहले इन इकाइयों को नोटिस जारी कर अपनी बात या आपत्ति रखने का अवसर दिया जाता है।

मोदी के बारे में बताया जाता है कि वह 2010 में भारत से लंदन चले गए थे। उन पर मनी लांड्रिंग का एक मामला चल रहा है। लेकिन उनका कहना है कि उन्होंने कोई गड़बड़ी नहीं की है। गौर करने लायक एक बात यह है कि मोदी दंपत्ति के खिलाफ 2016 में भी ऐसे ही नोटिस जारी किए गए थे। पर यह नहीं पता चल सका है कि उसके बाद इन दोनों के खातों के बारे में भारत को जानकारी उपलब्ध कराई गई थी या नहीं। हाल के महीनों में भारत के अनुरोध पर कई इकाइयों के बारे में स्विट्जरलैंड के राजपत्र में इस तरह के नोटिस जारी किए गए थे और कानून के तहत उनके बारे में भारत को सूचनाएं उपलब्ध कराई गई हैं। भारत का आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय सहित केंद्रीय एजंसियां उन मामलों में अभियोजन की कार्रवाई कर रही हैं।

आरसीईपी के व्यापार मंत्रियों की बैठक बैंकाक में 10-12 को

नई दिल्ली, 2 अक्तूबर (भाषा)।

क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (आरसीईपी) पर बातचीत कर रहे भारत और जापान समेत 16 देशों के व्यापार मंत्रियों की अगले सप्ताह बैंकाक में अहम बैठक होगी। आरसीईपी पर बातचीत अंतिम दौर में है। एक अधिकारी ने यह बात कही।

क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी की यह आठवीं मंत्री स्तरीय बैठक 10 से 12 अक्टूबर को होगी और वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल इसमें हिस्सा लेंगे। अधिकारी ने कहा कि संभवत यह आखिरी मंत्री स्तरीय बैठक होगी क्योंकि उत्पाद के उद्गम संबंधी नियमों जैसे कुछ ही मुद्दों को अंतिम रूप देना बाकी रह गया है।

आरसीईपी समझौते पर 10 आसियान सदस्य देश (ब्रुनेइ, कंबोडिया, इंडोनिशया, लाओस, मलेशिया, म्यांमा, फिलिपीन, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम) और आस्ट्रेलिया, चीन भारत, जापान, कोरिया के साथ न्यूजीलैंड के बीच बातचीत हो रही है।

ओटीटी नियमों को अंतिम रूप देने में और समय लेगा ट्राई

नई दिल्ली, 2 अक्तूबर (भाषा)।

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) इंटरनेट के सहारे विविध सेवाएं देने वाली कंपनियों (ओटीटी) के लिए नियमों को अंतिम रूप देने में अतिरिक्त समय लेगा। नियमों में मुख्य तौर पर सुरक्षा और वैध रूप से दखल देने पर जोर दिया जा रहा है।

ओटीटी से आशय 'ओवर द टॉप' सेवाओं से होता है। इसमें ऐसी कंपनियां आती हैं जो दूरसंचार नेटवर्क कंपनियों द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले इंटरनेट के सहारे अपनी सेवाएं देती हैं। इनमें स्काइप, वाइबर, व्हाट्सएप, हाइक, स्नैपचैट जैसी संदेश और इंटरनेट फोन सेवाएं देने वाली विभिन्न कंपनियां शामिल हैं। इसके अलावा ऑनलाइन मनोरंजन प्रदान करने वाली नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, हॉटस्टार, जी5 और आल्ट बालाजी भी ओटीटी का हिस्सा हैं। ओटीटी के लिए नियमों को अंतिम रूप देने में ट्राई को एक महीने का अतिरिक्त समय लग सकता है। ट्राई इस संबंध में ओटीटी पर अंतरराष्ट्रीय नियम-विनियम को देख रहा है। उसका विशेष ध्यान सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर है।

ट्राई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि ओटीटी पर नियम बनाने को लेकर नियामक 'व्यावहारिक धारणा' अपनाने के पक्ष में है। हालांकि ओटीटी के उपयोग से दूरसंचार सेवाप्रदाताओं को भी लाभ हुआ है क्योंकि लोगों का इंटरनेट उपभोग बढ़ा है। ऐसे में दूरसंचार कंपनियों का इनके मुफ्त सेवाएं देने का तर्क बहुत ज्यादा मान्य नहीं रह गया है। अधिकारी ने कहा कि ऐसे में ओटीटी नियमों के बारे में आर्थिक पक्ष उतना महत्व पूर्ण नहीं रह गया है।

अधिकारी ने कहा- अब ओटीटी नियमों में सुरक्षा बड़ा मुद्दा बन गया है। बड़ा सवाल अब यह है कि सुरक्षा चिंताओं का समाधान कैसे किया जाना है, अन्य देश सुरक्षा संबंधी चिंताओं से कैसे निपट रहे हैं, नियमों से जुड़ी समस्या अब सीमित हो चुकी है और अब यह उतनी जटिल और बड़ी नहीं है जितनी पहले थी। ट्राई ने पिछले साल ओटीटी कंपनियों को नियामकीय ढांचे के दायरे में लाने के लिए एक परिचर्चा पत्र पेश किया था। बाद में इनमें से कई मंच सरकार की निगरानी के दायरे में आ गए और सरकार का सूचना प्रौद्योगिकी कानूनों में भी बदलाव का प्रस्ताव है ताकि इन कंपनियों के लिए बेहतर जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके।

ढाई सौ जिलों में आज लोन मेला लगाएंगे बैंक

नई दिल्ली, 2 अक्तूबर (भाषा)।

बैंक देशभर के 250 जिलों में गुरुवार से 'लोन मेले' के प्रथम चरण की शुरुआत करेंगे। खुदरा ग्राहकों और लघु व मध्यम उद्योगों को तेजी से ऋण उपलब्ध कराने के लिए मेले के दौरान बैंक विशेष अभियान चलाएंगे ताकि त्योहारी मौसम की मांग को पूरा किया जा सके। ऋण मेले का पहला चरण तीन अक्तूबर से शुरु होकर चार दिन तक चलेगा। इसमें खुदरा, कृषि, वाहन, आवास, लघु व मध्यम उद्योग, शिक्षा और निजी श्रेणी के ऋणों को वास्तविक समय में ही उपलब्ध करा दिया जाएगा।

भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक, ऑफ बड़ौदा और कॉरपोरेशन बैंक समेत सभी बैंकों ने इस त्योहारी मांग का लाभ उठाने के लिए खुद को तैयार कर लिया है। पहले चरण में शामिल 250 जिलों में से 48 जिलों में भारतीय स्टेट बैंक और 17 में बैंक ऑफ बड़ौदा मुख्य बैंक है।

पिछले महीने की शुरुआत में सरकारी बैंकों ने अपने वार्षिक प्रदर्शन का आकलन करने के बाद 400 जिलों में ऋण मेला आयोजित करने का निर्णय किया है। बाद में निजी क्षेत्र के बैंकों ने भी इस पहल में शामिल होने की इच्छा जताई है।

भारत-22 ईटीएफ की चौथी पेशकश आज

नई दिल्ली, 2 अक्तूबर (भाषा)।

सरकार गुरुवार (तीन अक्तूबर) को भारत -22 ईटीएफ की चौथी खेप पेश करेगी। इससे निवेशकों से 8,000 करोड़ रुपए तक जुटाए जाने की उम्मीद है। आइसीआइसीआइ प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड की ओर से दायर सूचना के मुताबिक, यह एंकर निवेशकों के लिए तीन अक्तूबर को खुलेगा। अन्य संस्थागत व खुदरा निवेशकों के लिए यह चार अक्तूबर को खुलेगा। यह कंपनी भारत -22 ईटीएफ का प्रबंधन कर रही है। निवेशकों को निर्गम मूल्य पर तीन फीसद की छूट मिलेगी।

मामले से जुड़े एक सूत्र ने कहा- इस पेशकश का मूल निर्गम आकार दो हजार करोड़ रुपए होने का अनुमान है जिसके साथ अतिरिक्त छह हजार करोड़ रुपए बढ़ाने का विकल्प होगा। सरकार अब तक भारत -22 ईटीएफ से करीब 35,900 करोड़ रुपए जुटा चुकी है। नवंबर में 2017 में 14,500 करोड़ रुपए , जून 2018 में 8,400 करोड़ रुपए और फरवरी 2019 में 13 हजार करोड़ रुपए जुटाए गए। ईटीएफ से प्राप्त धन से सरकार को चालू वित्त वर्ष के लिए 1.05 लाख करोड़ रुपए के विनिवेश लक्ष्य को पूरा करने में मदद मिलेगी।

सड़कों पर लगीं एक करोड़ एलईडी लाइट से 6.71 अरब यूनिट बिजली की बचत

नई दिल्ली, 2 अक्तूबर (भाषा)।

देश की सड़कों पर अब तक एक करोड़ एलईडी बल्ब लागए जा चुके हैं। बिजली मंत्री आरके सिंह ने यह जानकारी देते हुए कहा कि सरकार का लक्ष्य मार्च 2020 तक इनकी संख्या 1.34 करोड़ पहुंचाने का है। सिंह ने मंगलवार को यहां एक कार्यक्रम में रिमोट का बटन दबाकर एक करोड़वें एलईडी स्ट्रीट लाइट को देश को सर्मिपत किया।

'स्ट्रीट लाइट नेशनल प्रोग्राम' (एसएलएनपी) के तहत अब तक देश के विभिन्न भागों में एक करोड़ एलईडी स्ट्रीट लाइट लगाए गए हैं। इससे 6.71 अरब यूनिट बिजली की बचत और व्यस्त समय में बढ़ने वाली बिजली की मांग में 1,119.40 मेगावाट की कमी आएगी। साथ ही 46.3 लाख टन सालाना कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी। बिजली मंत्रालय के अधीन आने वाली एनर्जी इफीशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन कर रही है।

उन्होंने यह भी कहा कि सड़कों पर लगी एलईडी लाइट से 2.7 लाख किलोमीटर सड़क रोशन हुई। इस कार्यक्रम के तहत मार्च 2020 तक 1.34 करोड़ परंपरागत स्ट्रीट लाइट की जगह स्मार्ट एलईडी लाइट लगाने का लक्ष्य है। ईईएसएल की अगले 4-5 साल में 2024 तक इस क्षेत्र में 8,000 करोड़ रुपये निवेश लाने की योजना है। इसके तहत देशभर में 3 करोड़ से अधिक एलईडी स्ट्रीट लाइट लगाई जाएंगी।

बिजली मंत्री सिंह ने कहा- सतत भविष्य की परिकल्पना को साकार करने के प्रयासों में ऊर्जा दक्षता और संरक्षण महत्त्वपूर्ण है। आज हम अत्यंत गर्व के साथ एक करोड़ स्मार्ट और ऊर्जा दक्ष एलईडी स्ट्रीट लाइट भारत के लोगों को सर्मिपत कर रहे हैं। यह देश के ऊर्जा लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में एक अहम पड़ाव है। एसएलएनपी को लागू करने वाले राज्यों में आंध्र प्रदेश 28.9 लाख एलईडी स्ट्रीट लाइट के साथ सबसे आगे चल रहा है। इसके बाद 10.3 लाख एलईडी लाइट के साथ राजस्थान दूसरे और 9.3 लाख के साथ उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पर रहा है। अब तक देश भर में 1,502 शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) ने इस कार्यक्रम के तहत पंजीकरण किया है। इन निकायों में से 900 में काम पूरा किया जा चुका है। बिजली मंत्रालय के अनुसार बड़े स्तर पर बदलाव के लिये ईईएसएल ने बचत के जरिए भुगतान करने के 'पे एज यू सेव' (पेज) मॉडल को अपनाया है।

बिजली वितरण कंपनियों पर 78,000 करोड़ रुपए बकाया

नई दिल्ली, 2 अक्तूबर (भाषा)।

बिजली वितरण कंपनियों पर बिजली उत्पादकों का कुल बकाया बीते अगस्त में एक साल पहले की तुलना में करीब 57 फीसद बढ़कर 78,020 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। बिजली मंत्रालय के प्राप्ति पोर्टल के मुताबिक, अगस्त 2018 में यह बकाया 49,669 करोड़ रुपए था।

अगस्त में , 60 दिन से अधिक पुराना बकाया 59,532 करोड़ रुपए था जबकि पिछले साल बकाया इसी महीने 34,464 करोड़ रुपए था। बिजली उत्पादक वितरण कंपनियों को भुगतान के लिए 60 दिन का समय देते हैं। उसके बाद बकाया राशि को पुराने बकायों की श्रेणी में रख दिया जाता और उस पर उत्पादक ज्यादातर मामलों में दंड ब्याज लगाते हैं। जुलाई 2019 में बिजली वितरण कंपनियों पर कुल बकाया 76,467 करोड़ रुपए था। जबकि 60 दिन की मोहलत के बाद की बकाया राशि 56,556 करोड़ रुपए थी।

जिन बिजली वितरण कंपनियों पर सर्वाधिक बकाया है , उनमें दिल्ली, राजस्थान , जम्मू - कश्मीर , तेलंगाना , आंध्र प्रदेश , कर्नाटक , तमिलनाडु की वितरण इकाइयां शामिल हैं। वे किसी किसी भुगतान में 878 दिन तक का समय लगा दे रही हैं। दिल्ली की वितरण इकाइयां भुगतान करने में 878 दिन तक ले रही हैं।

ऑडिटरों की भूमिका की जांच करेगा आइसीएआइ

नई दिल्ली, 2 अक्टूबर (भाषा)।

चार्टर्ड अकाउंटेंट के शीर्ष निकाय भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) ने पीएमसी बैंक संकट पर आरबीआई और अन्य एजंसियों से जानकारी मांगी है ताकि यह पता किया जा सके कि कथित वित्तीय अनियमितता में कोई ऑडिटर शामिल था या नहीं।

मामले की गंभीरता को देखते हुए आइसीएआइ ने बुधवार कहा कि उसने अपने अनुशासनात्मक तंत्र को सक्रिय किया है और बैंक के साथ - साथ संबंधित नियामकीय एजेंसियों को पत्र लिखा है। संस्थान ने केंद्रीय बैंक के सतर्कता विभाग और महाराष्ट्र सहकारी समितियों के आयुक्त को पत्र लिखा है। भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ने बयान में कहा कि उसने जरूरी जानकारी मांगने के साथ - साथ मामले में कथित रूप से शामिल सदस्य / फर्म की भी सूचना मांगी है। इसके अलावा , वित्त वर्ष 2017-18 और 2018-19 में जुड़े बैंक के ऑडिटर से भी जानकारी मांगी गई है।

आइसीएआइ ने बयान में कहा- वह सक्रिय रूप से संबंधित नियामक के साथ इस मुद्दे पर काम करेगा ताकि मामले की विस्तृत जांच - पड़ताल की जा सके।